

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~करोली~~
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ~~रामपुर खाता~~

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~करोली~~ व भूअ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~करोली~~ /नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~करोली शीखी~~ तहसील ~~करोली~~ व जिला ~~करोली~~ की जमाबन्दी सम्वत् ~~2070-2073~~ में खाता संख्या ~~137, 175, 176~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	शीखी	137, 175, 176	जोपाल पुत्र धमरू धनकेश पुत्र कडू	जोडया पुत्र धमरू पवनकुमार पुत्र कडू

(
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,
दिनांक:- 13/6/17

क्रमांक:- 197

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार ~~करोली~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

(
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

13/6/17